

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3629

जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की उपलब्धता

3629. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में रबी फसल अवधि की मांग को पूरा करने के लिए यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके और एसएसपी उर्वरकों की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा देश में रबी फसल मौसम की मांग को पूरा करने के लिए उक्त उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्तमान रबी फसल मौसम के लिए उर्वरक की कुल अपेक्षित मात्रा राज्यवार और उर्वरकवार कितनी है;
- (घ) क्या सरकार के पास देश में रबी फसल मौसम के लिए अनिवार्य अपेक्षित मात्रा को पूरा करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध उर्वरक भंडार पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त मौसम के दौरान उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में और विशेषकर वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ.): चल रहे रबी मौसम 2024-25 (01.10.2024 से 16.03.2025 तक) के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। उपर्युक्त अवधि के लिए देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके और एसएसपी उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक से संबंधित सूचना (राज्य-वार) **अनुलग्नक** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

- i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।
- ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्राओं का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
- iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।
- iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(च): राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उर्वरकों की आपूर्ति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं -

चल रहे रबी मौसम में 17.03.2025 तक आपूर्ति (आँकड़े एमटी में)							
क्रम.सं.	क्षेत्र	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	एसएसपी	कुल
1	वाशिम	11574	4404	689	18824	5752	41243
2	यवतमाल	29187	6273	1715	26013	14484	77672
3	वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	13565	2310	1320	15110	15716	48021

यह अनुलग्नक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारंकित प्रश्न सं.3629 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) से संबंधित है।

चालू रबी 2024-25 (17/03/25 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार स्थिति																										
आंकड़े एलएमटी में																										
		यूरिया					डीएपी					एमओपी					एनपीकेएस					एसएसपी				
क्र. सं.	राज्य	रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	17/03/2025 को अंतिम स्टॉक	रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	17/03/2025 को अंतिम स्टॉक	रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	17/03/2025 को अंतिम स्टॉक	रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	17/03/2025 को अंतिम स्टॉक	रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 17/03/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	17/03/2025 को अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.40	8.78	11.55	9.00	2.55	2.00	1.96	2.75	2.29	0.45	0.80	0.75	1.67	0.96	0.71	9.00	8.62	11.97	9.63	2.33	1.00	0.94	1.32	0.91	0.41
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	1.54	2.36	1.98	0.38	0.25	0.23	0.44	0.35	0.09	0.28	0.27	0.49	0.25	0.24	0.35	0.33	0.42	0.28	0.15	1.00	0.96	1.04	0.63	0.41
5	बिहार	13.00	12.59	16.17	14.53	1.64	3.00	2.94	4.56	3.99	0.58	1.15	1.13	2.21	1.48	0.72	4.00	3.95	5.10	3.85	1.25	1.00	0.99	1.74	1.08	0.65
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	छत्तीसगढ़	2.40	2.29	4.16	2.62	1.54	0.70	0.68	1.33	0.91	0.42	0.15	0.14	0.54	0.16	0.38	0.60	0.57	0.92	0.52	0.40	0.80	0.76	2.01	0.57	1.44
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	दिल्ली	0.15	0.14	0.23	0.19	0.04	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	गुजरात	13.75	13.30	14.40	12.79	1.62	2.75	2.68	3.14	2.74	0.40	0.64	0.63	0.87	0.64	0.23	4.00	3.82	5.83	4.30	1.53	1.20	1.15	1.33	0.73	0.60
13	हरियाणा	11.20	10.75	14.74	12.37	2.36	2.60	2.58	2.87	2.71	0.17	0.30	0.28	0.47	0.20	0.26	1.20	1.15	0.89	0.67	0.22	1.50	1.45	1.14	0.56	0.58
14	हिमाचल प्रदेश	0.37	0.36	0.44	0.29	0.15	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.21	0.21	0.27	0.17	0.09	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	0.70	0.61	1.15	0.53	0.63	0.25	0.23	0.37	0.23	0.14	0.13	0.11	0.17	0.04	0.12	0.02	0.01	0.00	0.00	0.07	0.06	0.02	0.01	0.02	
16	झारखंड	1.00	0.95	2.01	1.62	0.39	0.25	0.25	0.45	0.41	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.30	0.30	0.53	0.33	0.20	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02
17	कर्नाटक	6.50	6.03	10.45	7.07	3.38	1.74	1.63	2.66	1.87	0.79	0.65	0.62	1.73	0.90	0.83	6.30	5.92	12.25	8.17	4.08	0.50	0.47	0.62	0.33	0.28
18	केरल	0.57	0.55	0.82	0.57	0.24	0.07	0.07	0.11	0.09	0.01	0.40	0.38	0.68	0.41	0.27	0.60	0.57	0.83	0.62	0.21	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	मध्य प्रदेश	20.00	19.89	23.94	20.31	3.63	8.00	7.89	6.90	5.82	1.07	0.60	0.58	1.14	0.63	0.51	6.00	5.82	6.52	4.99	1.52	6.50	6.39	9.98	6.31	3.67
21	महाराष्ट्र	10.00	9.14	15.92	10.16	5.77	2.50	2.31	3.25	2.40	0.85	1.00	0.90	2.17	1.01	1.16	12.00	11.30	17.36	9.88	7.48	6.00	5.54	7.22	2.84	4.38
22	मणिपुर	0.10	0.09	0.06	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.05	0.05	0.04	0.03	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
24	मिजोरम	0.01	0.01	0.13	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	ओडिशा	1.85	1.62	3.07	1.64	1.43	0.70	0.65	1.02	0.72	0.30	0.25	0.23	0.55	0.19	0.36	0.75	0.70	1.51	0.76	0.75	0.15	0.13	0.29	0.17	0.11
27	पुदुचेरी	0.09	0.08	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
28	पंजाब	15.00	14.55	18.46	14.91	3.55	4.50	4.48	4.22	3.82	0.40	0.50	0.48	0.73	0.36	0.37	1.50	1.48	1.25	0.95	0.30	1.50	1.45	1.39	0.60	0.79
29	राजस्थान	15.00	14.82	18.24	15.69	2.55	3.00	2.98	3.49	3.31	0.18	0.10	0.10	0.20	0.12	0.08	1.50	1.48	1.93	1.55	0.38	5.00	4.91	5.02	3.24	1.78
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	तमिलनाडु	6.00	5.74	7.74	6.08	1.66	1.30	1.24	1.91	1.46	0.44	1.20	1.14	1.78	1.13	0.65	6.00	5.72	6.18	4.67	1.50	1.25	1.19	0.71	0.48	0.23
32	तेलंगाना	9.80	9.21	11.74	10.19	1.55	1.50	1.43	1.72	1.46	0.26	0.70	0.65	0.95	0.62	0.34	7.00	6.46	8.31	6.33	1.98	0.60	0.55	0.45	0.28	0.17
33	त्रिपुरा	0.10	0.09	0.15	0.09	0.07	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.15	0.14	0.26	0.09	0.16
34	उत्तराखंड	1.03	0.97	1.23	0.96	0.27	0.15	0.15	0.34	0.23	0.11	0.05	0.05	0.07	0.02	0.05	0.20	0.20	0.16	0.11	0.05	0.10	0.10	0.13	0.05	0.07
35	उत्तर प्रदेश	39.00	38.10	49.86	39.24	10.62	15.00	14.77	14.20	12.12	2.08	1.25	1.20	1.99	1.24	0.75	8.50	8.39	9.03	6.90	2.13	4.50	4.39	5.36	2.93	2.42
36	पश्चिम बंगाल	8.20	7.82	11.69	8.50	3.19	1.75	1.67	2.41	1.93	0.48	1.70	1.62	2.51	1.59	0.92	7.00	6.69	9.52	6.57	2.95	3.50	3.34	4.60	2.88	1.72
	संपूर्ण	186.89	180.04	240.83	191.56	49.27	52.05	50.86	58.22	48.92	9.30	11.95	11.34	21.07	12.03	9.03	77.10	73.76	100.89	71.35	29.54	36.48	35.09	44.77	24.79	19.98